

भाग-4

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

17. टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें।

(राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाए।)

4-5-2017

Recommended for
approval.


वाई०एस०के० शेषकुमार
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम-1980
उ० प्र०, लखनऊ।